

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 12/2021

प्रार्थी :-

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

## बनाम


अप्रार्थी :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. मृतक श्रीमती चन्दनकंवर पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह के कायम मुकाम—
- 2.1 श्री पर्वतसिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
- 2.2 श्री झालमसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
- 2.3 श्री भंवरसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
- 2.4 श्री करणसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
- 2.5 श्रीमती फिलम कुंवर पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह पत्नि श्री छैलसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाडा जिला बाडमेर।
- 2.6 श्रीमती धोपदा कुंवर पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणसिंह पत्नि श्री शम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी चुली वाया पोसालिया मु.पो. चुली तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।



## निर्णय

दिनांक 21.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 77 दिनांक 05.07.2007 बुक संख्या 123 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो के वारिसानों की ओर से किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि विरुद्ध पारित बुक संख्या 123 पट्टा संख्या 77 दिनांक 05.07.2007 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट का नियम 157(2) राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई प्रमाण नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम सनवाडा आर द्वारा पुराने गृहों का विनियमितकरण विलेख जारी किया गया है लेकिन मौके पर आज भी भूमि पडत

Bella  
जिला कलक्टर, सिरोही

एवं रिक्त है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो नियम 157(2) के तहत पात्रता नहीं रखता है। यह है पट्टा जारी करने से ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 144 से 160 की पालना नहीं की है तथा नियमों की पूर्ण अवहेलना कर उक्त पट्टे को विधि विरुद्ध जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या एक व दो के वारिसानों की ओर से किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो के वारिसानों का जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है एवं न ही अप्रार्थी संख्या एक व दो के वारिसान बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया। संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभाँति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुसार-

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है, ऐसे में उस परिवार की महिला मुखिया के नाम से पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु इस प्रकरण में पुराने गृहों का विनियममितिकरण नहीं किया गया है, क्योंकि मौके पर आज भी भूमि पडत एवं रिक्त है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 से 160 की पालना नहीं करते हुए नियम 157(2) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती चन्दनकंवर अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर की माँ है एवं अप्रार्थी संख्या एक स्वयं ने ग्राम पंचायत की बैठक में अध्यक्षता कर अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी किया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 48(3) के तहत पंचायतीराज संस्था के किसी सदस्य के स्वयं का धनीय हित निहित होने पर ग्राम पंचायत की बैठक में अध्यक्षता नहीं करने का प्रावधान है। यह है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि नियम के तहत पट्टे पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 77 दिनांक 05.07.2007 बुक संख्या 123 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरसी